निर्णय ब इजलास प्रियंका गोस्वामी आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), कोटपूतली बहरोड़

प्रकरण संख्या 149/2025 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

सोनू, निवासी ग्राम पो0 होलावास, तहसील– बानसूर, जिला कोटपूतली–बहरोड।

......अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड़।

......प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय

दिनांक 14.10.2025

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़ से सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलवाने का अनुरोध किया है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा (अतिरिक्त कलक्टर कोटपूतली बहरोड़) को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया, अपीलार्थी अनुपस्थित रहा।
3. पत्रावली का भलीभांति अवलोकन व अध्ययन किया गया।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड द्वारा अपने पत्र क्रमांक आरटीआई/2025/433 दिनांक 10.10.2025 के द्वारा अवगत कराया कि अपीलार्थी ने दिनांक 04.09.2025 को ऑनलाईन आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था। अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना का संबंध मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोटपूतली–बहरोड़ से होने के कारण कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2025/390 दिनांक 09.09.2025 के द्वारा प्रकरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोटपूतली–बहरोड़ को प्रेषित किया जा चुका है। अतः प्रकरण में इस लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील को ड्रॉप करने की कृपा करें।
5. अपीलार्थी को जरिये नोटिस सूचित किया लेकिन अपीलार्थी अनुपस्थित रहा।
6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना का संबंध मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोटपूतली–बहरोड़ से है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना का संबंध मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोटपूतली–बहरोड से होने के कारण राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण को संबंधित अधिकारी को अन्तरित कर दिये जाने से प्रत्यर्थी/राज्य लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः उक्त अपील इसी स्तर पर अस्वीकार कर निस्तारित की जाती है तथा लोकहित में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोटपूतली–बहरोड को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन–पत्र में वांछित सूचना अपीलार्थी को अविलम्ब निःशुल्क पंजिकृत पत्र से उपलब्ध कराई जावे, सबंधित कार्यालय में दस्तावेजी सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भी तदनुसार स्पष्टतः अपीलार्थी को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।
7. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष के साथ–साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोटपूतली–बहरोड. को भी जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर फैसल शुमार हो।
8. निर्णय आज दिनांक 14.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
आई.ए.एस.
अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर),
कोटपूतली–बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़